न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 06/2024
Gcms reg. No. 2024/32

प्रार्थी :– अप्रार्थी :–

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा बनाम श्री गेंदालाल पिता श्री सोमा चरपोटा निवासी पाटीया डुंगरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक 29–07–2024

पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा द्वारा गैर सायल श्री गेंदालाल पिता श्री सोमा चरपोटा निवासी पाटीया डुंगरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा (राज.) के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नंम्बर	न्यायालय निर्णय
1	09/06.01.2012	16/54 आबकारी अधिनियम	06/19.01.2012	सजा
2	28/28.01.2023	16/54 आबकारी अधिनियम	12/29.01.2013	सजा
3	15/06.01.2018	16/54 आबकारी अधिनियम	06/19.01.2018	सजा
4	62/17.03.2018	16/54 आबकारी अधिनियम	42/26.03.2018	सजा
5	282/25.09.2023	16/54 आबकारी अधिनियम	218/30.09.2023	जैर ट्रायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:02:39 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल श्री गेंदालाल पिता श्री सोमा चरपोटा निवासी पाटीया डुंगरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा (राज.) जो अवैध शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत प[illegible] 5 प्रकरण दर्ज होकर 4 प्रकरणो में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत् कार्यवाही करने निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18–06–2024 को अप्रार्थी/ गैर सायल ने उपस्थित होकर इस्तगासा में अंकित आरोपो स्वीकार कर प्रकरण में नरमी का रुख अपना कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजो के अनुसार गैरसायल अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 5 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 4 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 5 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है एवं परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबुत पेश किये है। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणो में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। प्रकरण में आरोपी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार कर लिया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित चार प्रकरणो में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री गेंदालाल पिता श्री सोमा चरपोटा निवासी पाटीया डुंगरा पुलिस थाना गढी [illegible]डा (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के [illegible] किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:02:39 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री गेंदालाल पिता श्री सोमा चरपोटा निवासी पाटीया डुंगरा पुलिस थाना गढी जिला बांसवाडा (राज.) को जिला बांसवाडा की सीमा से 40 दिवस की अवधि के लिये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना प्रतापगढ जिला प्रतापगढ (राज.) अन्तर्गत क्षैत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।

2. यदि गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण जिला बॉसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

3. अप्रार्थी/ गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना प्रतापगढ जिला प्रतापगढ में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षैत्र नही छोडेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।

4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा/ धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ/ मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।

5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नही हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 29–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.10.07 12:02:39 IST
Reason: SelfAttested